

तारीख दायर:-07.06.2023
तारीख निर्णय:-02.04.2025

1. श्रीमती खुमाणीबाई पत्नी भंवरलाल मेघवाल निवासी फलासिया तहसील फलासिया।
2. श्री प्रकाश पुत्र भंवरलाल मेघवाल निवासी फलासिया तहसील फलासिया।
3. श्री रोशन पुत्र भंवरलाल मेघवाल निवासी फलासिया तहसील फलासिया।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री वालु पिता गोविन्द पटेल निवासी फलासिया तहसील फलासिया।
2. श्री देवीलाल पिता गोविन्द पटेल निवासी फलासिया तहसील फलासिया।
3. श्री बाबुलाल पिता दीता भगोरा निवासी नयाखोला तहसील फलासिया।
4. श्री भंवरलाल पुत्र नंगा भगोरा निवासी नयाखोला तहसील फलासिया।
5. श्री उंकारलाल पिता नाथु तीरगर निवासी फलासिया तहसील फलासिया।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री प्रवीण कुमार मेहता

अप्रार्थी की ओर से- एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा फलासिया पटवार सर्कल फलासिया तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 2585 रकबा 0.4600, 3469/2560 रकबा 0.4500 किता 02 कुल रकबा 0.9100 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाईं झगडा करते रहते है। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा फलासिया पटवार सर्कल फलासिया तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 2585 रकबा 0.4600, 3469/2560 रकबा 0.4500 किता 02 कुल रकबा 0.9100 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी



हने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये हैं।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं कि कि कि मौजा फलासिया पटवार सर्कल फलासिया तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 2585 रकबा 0.4600, 3469/2560 रकबा 0.4500 कित्ता 02 कुल रकबा 0.9100 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नहीं होने की स्थिति में दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फलासिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाड़ोल-उदयपुर
झाड़ोल, जिला-उदयपुर